

13



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
196/2019

तारीख दायर
01/08/2019

तारीख फैसला
16/05/2024

1. सुनिता देवी पत्नि देवनारायण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम इन्द्रगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. मूली देवी पत्नि श्री बद्रीनारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र स्व० मूलचन्द
2. जगदीश पुत्र मूलचन्द
3. कैलाश पुत्र मूलचन्द
4. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द
5. लाडा देवी पत्नि मूलचन्द
6. नाथी पुत्री मूलचन्द
7. मनभरी पुत्री मूलचन्द
8. ममता पुत्र मूलचन्द
9. शान्ति पुत्री मूलचन्द,
10. भगवान पि० मु. जगन्नाथ
11. बलू पुत्र भौरया
12. छीतर पुत्र ग्यारसा
13. श्रवण पुत्र ग्यारसा
14. बाबू पुत्र ग्यारसा
15. हनुमान पुत्र ग्यारसा
16. रामराय पुत्र ग्यारसा
17. सियाराम पुत्र ग्यारसा
18. रामप्यारी पत्नि ग्यारसा
19. भगवान पुत्र छोटू
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
21. उप पंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपरिथत अभिभावक

श्री रामस्वरूप शर्मा :- वकील वादीगण

श्री दीपचन्द महावर :- प्रतिवादी सं० 10, 12 ता 17 व 19

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर०टी०एक्ट


उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

-: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड० श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम हीरावाला पटवार हल्का रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 0.9000 है०, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 73 रकबा 2.2000 है०, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.1100 है० कुल किता 5 कुल रकबा 4.0100 है० में वादीगण का हिस्सा 14/150 स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिसमें सभी सहखातेदार आपसी मनबट एवं सहूलियत के काश्त करते है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 12.09.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने दिनांक 16.05.2024 को कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील उभय पक्षों द्वारा कुर्रजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरावाला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्र०	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1/50, कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1/90, छीतर पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, नाथी पुत्री मूलचन्द हि० 1/90, बाबू पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, बालू पुत्र भौरया हि० 1/10, भगवान पुत्र जगन्नाथ हि० 1/2 रहन आरएमजीबी शाखा जमवारामगढ, भगवान पुत्र छोटू हि० 1/10, मनभरी पुत्री मूलचन्द हि० 1/90, ममता पुत्री मूलचन्द 1/90, मूली देवी पत्नी बद्रीनारायण हि० 7/150, रामप्यारी पत्नी ग्यारसा हि० 1/70, लाडा पत्नी मूलचन्द हि० 1/50, लाडा देवी पत्नी मूलचन्द हि० 1/90, श्रवण पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, सुनिता पत्नी देवनारायण हि० 7/150, सीयाराम पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, हनुमान पुत्र ग्यारसा हि० 1/70 जाति हरि० ब्राहमण सा०देह खातेदार	43 51 53 73 97	0.90 0.47 0.33 2.20 0.11	बा.1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1	-
		किता 5	4.01	-	-

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

3/3

—: प्रस्तावित :-

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	मूली देवी पत्नी बदरीनारायण हि० 1/2 जाति हरियाणा ब्राहमण सा० नयाबास, सुनिता पत्नी देवनारायण हि० 1/2 जाति गुर्जर सा०इन्द्रगढ	73/1	0.3742	चाही1	—
	योग	किता 1	0.3742	—	—
2	कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1249/36358, छीतर पुत्र ग्यारसा हि० 573/36358, नाथी पुत्री मूलचन्द हि० 445/36358, बाबू पुत्र ग्यारसा हि० 573/36358, बालू पुत्र भौरया हि० 2005/18179, भगवान पुत्र जगनाथ हि० 10025/18179 रहन आरएमजीबी जमवारामगढ, भगवान पुत्र छोटू हि० 2005/18179, मनभरी पुत्री मूलचन्द हि० 445/36358, ममता पुत्री मूलचन्द हि० 445/36350, रामप्यारी पत्नी ग्यारसा हि० 573/36358, रामराय पुत्र ग्यारसा हि० 573/36358, लाडा देवी पत्नी मूलचन्द हि० 1248/36358, श्रवण पुत्र ग्यारसा 573/36358, शान्ति पुत्री मूलचन्द 445/36358 हि० सियाराम पुत्र ग्यारसा हि० 573/36358, हनुमान पुत्र ग्यारसा हि० 573/36358 जाति हरियाणा ब्राहमण सा०देह खातेदार	43 51 73/2 53 97	0.90 0.47 1.8258 0.33 0.11	बा.1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1	—
	योग	किता 5	3.6358	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इकितनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

सुनिता वगै०

बनाम

कल्याण वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 196/2019.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामस्वरूप शर्मा वादीगण व श्री दीपचन्द महावर प्रतिवादीगण सं. 10, 12 ता 17 व 19 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हीरावाला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्र०सं०	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1/50, कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1/90, छीतर पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, नाथी पुत्री मूलचन्द हि० 1/90, बाबू पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, बालू पुत्र भौरया हि० 1/10, भगवान पुत्र जगन्नाथ हि० 1/2 रहन आरएमजीबी शाखा जमवारामगढ, भगवान पुत्र छोटू हि० 1/10, मनभरी पुत्री मूलचन्द हि० 1/90, ममता पुत्री मूलचन्द 1/90, मूली देवी पत्नी बद्रीनारायण हि० 7/150, रामप्यारी पत्नी ग्यारसा हि० 1/70, लाडा पत्नी मूलचन्द हि० 1/50, लाडा देवी पत्नी मूलचन्द हि० 1/90, श्रवण पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, सुनिता पत्नी देवनारायण हि० 7/150, सीयाराम पुत्र ग्यारसा हि० 1/70, हनुमान पुत्र ग्यारसा हि० 1/70 जाति हरि० ब्राहमण सा०देह खातेदार	43 51 53 73 97	0.90 0.47 0.33 2.20 0.11	बा.1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1	-
		किता 5	4.01	-	-

-: प्रस्तावित :-


खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	मूली देवी पत्नी बदरीनारायण हि० 1/2 जाति हरियाणा ब्राहमण सा० नयावास, सुनिता पत्नी देवनारायण हि० 1/2 जाति गुर्जर सा०इन्द्रगढ	73/1	0.3742	चाही1	-
	योग	किता 1	0.3742	-	-
2	कल्याण पुत्र मूलचन्द हि० 1249/36358, छीतर पुत्र	43	0.90	बा.1	-

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ


ग्यारसा हि0 573/36358, नाथी पुत्री मूलचन्द हि0 445/36358, बाबू पुत्र ग्यारसा हि0 573/36358, बालू पुत्र भौरया हि0 2005/18179, भगवान पुत्र जगनाथ हि0 10025/18179 रहन आरएमजीबी जमवारामगढ, भगवान पुत्र छोटू हि0 2005/18179, मनभरी पुत्री मूलचन्द हि0 445/36358, ममता पुत्री मूलचन्द हि0 445/36350, रामप्यारी पत्नी ग्यारसा हि0 573/36358, रामराय पुत्र ग्यारसा हि0 573/36358, लाडा देवी पत्नी मूलचन्द हि0 1248/36358, श्रवण पुत्र ग्यारसा 573/36358, शान्ति पुत्री मूलचन्द 445/36358 हि0 सियाराम पुत्र ग्यारसा हि0 573/36358, हनुमान पुत्र ग्यारसा हि0 573/36358 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार	51 73/2 53 97	0.47 1.8258 0.33 0.11	चाही1 चाही1 चाही1 चाही1	
योग	किता 5	3.6358	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 16/05/2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ